

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-54/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

स्व० (डा०), हर्षवर्धन चौधरी, भूतपूर्व ट्यूटर, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के दिनांक-07.11.2023 से मृत्यु की तिथि 28.02.2024 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1842(25) दिनांक-24.10.2024 एवं पत्रांक-978(25), दिनांक-09.05.2025 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 234 एवं 236 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-07.11.2023 से 16.12.2023 तक	-	कुल-40 (चालीस) दिनों को रूपान्तरित अवकाश के रूप में (80 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
ii.	दिनांक-17.12.2023 से 17.02.2024 तक	-	कुल-63 (तीरसठ) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में।
iii.	दिनांक-18.02.2024 से 28.02.2024 तक	-	कुल-11 (ग्यारह) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार के पत्रांक-978(25), दिनांक-09.05.2025 के आलोक में आदेश संख्या-224(2) दिनांक-11.02.2025 को रद्द किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-2/एल-54/2024-

96(25) पटना, दिनांक 21/10/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/श्रीमती अंजली कुमारी पति-स्व० (डा०), हर्षवर्धन चौधरी, भूतपूर्व ट्यूटर, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा पत्राचार के पता-श्याम कुंज, जी०एम०मार्ग, जनता होटल क सामने पी०एम०सी०एच० के पास आर्या कुमार रोड, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wmnnk 20/10/26
सरकार के उप सचिव।

A